

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/खण्ड-11/2017  
2017

दिनांक: 20 जुलाई,

सेवा में

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
नागालैंड,  
कोहिमा।

**विषय: राज्य विधान सभा का उप-निर्वाचन, 2017-इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों का उपयोग।**

महोदय,

मुझे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क के अनुसरण में जारी किए गए आयोग के दिनांक 20 जुलाई, 2017 के निदेश सं. 576/3/ईवीएम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एसडीआर/खण्ड-11/2017 को इसके साथ अग्रेषित करने का निदेश हुआ है जिसमें नागालैंड की 10-उत्तरी अंगामी-1 (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें राज्य विधान सभा के चालू उप-निर्वाचन, जैसा कि दिनांक 05-07-2017 को अधिसूचित किया गया है, में मतों का डाला जाना एवं उनका रिकार्ड रखना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के माध्यम से किया जाएगा। यह निदेश राज्य के सरकारी राजपत्र में तत्काल प्रकाशित किया जाए और इस राजपत्र की दो प्रतियां आयोग की सूचना एवं रिकार्ड हेतु अग्रेषित की जाएं।

- इसके अतिरिक्त, मुझे मतदान मशीनों की डिजाइन, बेलेटिंग यूनिट पर मतपत्र के रूप एवं भाषा (ओं), निविदत्त मतपत्र की डिजाइन एवं भाषा और मतदान के पश्चात वोटिंग मशीनों को सीलबंद करने के संबंध में निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क, 49ख, 49त और 49न(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने का निदेश हुआ है। इस संबंध में, रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका, संस्करण 2014 के अध्याय-X। “वोटिंग मशीनों के लिए डाक मतपत्र और मतपत्र” में निहित संगत अनुदेशों का कृपया अनुसरण किया जाए।
- ऊपर उल्लिखित अनुदेश सूचना एवं अनुपालन के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों के ध्यान में लाए जाएं।
- जहां तक मतों की गणना का संबंध है, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 50 से 54क, 60 से 66क और 55ग से 57ग के प्रावधानों और मतों की गणना से संबंधित आयोग के विस्तृत निदेशों और अनुदेशों, जैसा कि रिटर्निंग अधिकारियों की पुस्तिका-2014, (जहां ईवीएम का प्रयोग होता है) के अध्याय XV में निहित है, की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। रिटर्निंग अधिकारियों को कहा जाना चाहिए कि वे उक्त अनुदेशों और निदेशों का निष्ठापूर्वक पालन करें।
- कृपया पावती दें।

भवदीय,

ह./-

(अभिषेक तिवारी)  
अनुभाग अधिकारी

भारत के राजपत्र के भाग-11  
खण्ड 3 (11) में तत्काल  
प्रकाशनार्थ।  
राज्य सरकार के शासकीय  
राजपत्र में तत्काल पुनः  
प्रकाशनार्थ।

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

दिनांक: 20 जुलाई, 2017

## निदेश

संख्या 576/3/ई.वी.एम/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./न्या./एस.डी.आर./खण्ड-1/2017:यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में यह उपबंधित है कि मतदान मशीनों द्वारा मत ऐसी रीति से डाले और रिकार्ड किए जाएंगे जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट करे, तथा

2. यतः आयोग ने **नागालैंड में 10-उत्तरी अंगामी-1 (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों पर विचार किया है, और वह संतुष्ट है कि उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए पर्याप्त संख्या में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों उपलब्ध हैं, तथा मतदान कर्मचारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दक्षतापूर्ण संचालन करने के लिए प्रशिक्षित हैं तथा निर्वाचक भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की कार्यप्रणाली से पूर्णतया परिचित है।

3. अतः, अब भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा **नागालैंड में 10-उत्तरी अंगामी-1 (अ.ज.जा.)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें **05.07.2017** को उक्त राज्य में अधिसूचित किए गए राज्य विधान सभा के चालू उप-निर्वाचन में, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के अधीन निर्धारित रीति से तथा जैसा कि इस विषय पर आयोग द्वारा समय-समय पर अनुपूरक अनुदेश जारी किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के माध्यम से मत डाले और रिकॉर्ड किए जाएंगे।

आदेश से,

ह/-  
**(के.एफ.विल्फ्रेड)**  
वरि.प्रधान सचिव